

भारत सरकार  
विधि और न्याय मंत्रालय  
विधि कार्य विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 2655  
जिसका उत्तर बुधवार, 10 मार्च, 2021 को दिया जाना है

**राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में प्रवेश**

**2655. श्री प्रताप सिन्हा :**

**श्री डी.एम. कथीर आनन्द :**

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनिवासी भारतीय प्रायोजित (एनआरआईएस) श्रेणी के तहत राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (एनएलयूएस) में प्रवेश के लिए पात्रता और चयन प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ;

(ख) एनआरआईएस श्रेणी के तहत प्रवेश किन कारणों से अनियमित और मनमाना है; और

(ग) सरकार द्वारा एनआरआईएस श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए समुचित विनियमन और प्रणाली तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री  
(श्री रविशंकर प्रसाद)**

**(क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।**

\*\*\*\*\*